संख्या–५२१/XXII/2013–4(2)2013

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादून : दिनांक 23 मई, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान सख्यां–30 के अन्तर्गत धनराशि के आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तानुसार व्यय करने हेतु संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

3– धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही हो। व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 तथा समय–समय पर जारी किये गये अन्य शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता संबंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय।

5– कम्प्यूटर आदि का क्रय एन.आई.सी./आई.टी. विभाग के संस्तुति के उपरान्त ही उनके दिशा–निर्देशों के अनुपालन में सुनिश्चित किया जायेगा।

6– अनुसूचित जाति एवं जनजाति की राज्य गठन के बाद की सूचना समाज कल्याण की बेवसाईट पर उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जाय एवं परिव्यय की मांग के सापेक्ष जारी की जा रही धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याणार्थ संचालित योजना पर व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2220–सूचना एवं प्रसार के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार इंगित लेखाशीर्षकों/मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

8– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 में निहित प्राविधानों के तहत जारी किये जा रहे है तथा उक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित भी किया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद शर्मा) 22.5.2013
अपर सचिव।

संख्या– (1)/XXII/2013,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6– वित्त अनुभाग–5
7– एन0आई0सी0, देहरादून, सचिवालय।
8– प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शैलेश कुमार पन्त)
उप सचिव।